न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—311 / 2024 / 223 आर.टी.एक्ट (2024 / 311)

1. रमेशचन्द पुत्र रामगोपाल
2. सुरेशचन्द पुत्र रामगोपाल
3. महेशचन्द पुत्र रामगोपाल
   सर्व जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम झाडोल तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

अपीलांट्स

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी झाडोल हाल निवासी शिवलोक कॉलोनी, मदनगंज—किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
2. राधेश्याम पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम झाडोल तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
3. कैलाशचन्द पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी किशनगढ रोड, अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
4. शंकरलाल पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी किशनगढ रोड, अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
5. जसराम पुत्र उगमाराम
6. जसराज पुत्र उगमाराम
7. नाथु पुत्र उगमाराम
   सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम मोहम्मदगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर राजस्थान।
8. सेन्ट्रल को—ऑपरेटिव बैंक शाखा अंराई जरिए शाखा प्रबंधक, अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
9. बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा सराना जरिए शाखा प्रबंधक तहसील सरवाड जिला अजमेर राजस्थान।
10. स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर जरिए शाखा प्रबंधक शाखा तिहारी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान।
11. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
12. उप—पंजीयक, अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
13. शाखा प्रबंधक, एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.11.2024 राजस्व वाद संख्या 71 / 2020

उपस्थितः—

1. श्री रूपक शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एस0पी0 औझा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5 से 7
4. श्री ब्रजराजसिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 8

5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 11, 12
6. रेस्पोडेंट संख्या 9, 10 व 13 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—17.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 71/2020 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.11.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा दिनांक 26.07.2024 को आपस में सहमती जाहीर कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.07.2024 को आदेश व प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए दिनांक 22.11. 2024 को निर्णय व अंतिम डिक्री के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 71/2020 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.11.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 9, 10 व 13 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.07.2024 को राजीनामा इस आधार से किया गया कि दिनांक 29.12.2001 की सहमती विभाजन निष्पादित किया गया है उसके अनुसार डिक्री पारित कर दी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित की गयी जिसके आधार पर नक्शे कुरेजात मंगवाये गये परन्तु मौके पर ना तो अपीलार्थीगण को बुलाये गये एवं ना ही नोटिस दिया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा नक्शे कुरेजात पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह महत्वपूर्ण बिन्दू प्रकट हो गया था कि जो नक्शे कुरेजात प्रस्तुत हुये है वह राजीनामा दिनांक 29.12.2001 के अनुसार नहीं आया है। इस प्रकार राजीनामा दिनांक 29.12.2001 के अनुसार बंटवारा/प्रस्ताव नहीं आये एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का विवेचन न करके अन्तिम डिक्री पारित कर दिया गया है जो निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के मध्य आपस में राजीनामा के आधार पर तहरीर दिनांक 29.12.2001 के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गयी है, परन्तु उक्त राजीनामे के अनुसार दिनांक 29.12.2001 के आधार पर अन्तिम डिक्री जारी नहीं की गय है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह महत्वपूर्ण बिन्दू को न्यायिक

चक्षुओं से निर्णय करना आवश्यक था कि दिनांक 29.12.2001 की तहरीर के आधार पर सहमती से विभाजन डिक्री पारित की गयी है परन्तु अन्तिम डिक्री जारी किया गया है वह अपीलार्थीगण के हितों के विपरित है। जिससे अन्य खातेदारों को असुविधा तो नहीं होगी? इस प्रकार के जटील प्रश्न को अधीनस्थ न्यायालय परीक्षण करके निर्णीत करना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आलोच्य आदेश व डिक्री पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित की गयी जो जो सहमती से राजीनामा अनुसार किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री जारी करते हुये राजीनामा दिनांक 29.01.2001 को दरकिनार करते हुये आलौच्च आदेश पारित किया गया इस प्रकार निष्पादित तहरीर के आधार पर दिनांक 26.07.2024 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं जिसके आधार पर बंटवारा प्रस्ताव नहीं आया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.2024 को पारित किया गया है वह राजीनामा के आधार पर नहीं की गयी है जो निरस्तनीय है। जिससे अपीलान्टगण के अधिकारों का कुठाराघात हुआ है इस कारण आलौच्य आदेश व डिक्री निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट हो गये थे कि अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के मध्य आपस में राजीनामा किया गया है परन्तु जो रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 द्वारा ना तो दिनांक 29.12.2001 के राजीनामे में हस्ताक्षर है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्ताक्षर व सहमती प्रस्तुत की गयी है एवं ना ही तहसीलदार द्वारा जो बंटवारा प्रस्ताव नक्शे कुरेजात प्रस्तुत किये गये है जिस बाबत् अपीलार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु बिना आपत्ति को सुने व राजीनामा को दरकिनार करते हुये अन्तिम डिक्री जारी की गयी है एवं उक्त राजीनामा से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 पाबन्द नहीं है इस प्रकार जो अन्तिम डिक्री जारी की गयी है वह प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी किया गया है उक्त आधार पर जो तहसीलदार द्वारा जो कुरेजात/बंटवारानामा प्रस्तुत करने से पूर्व किसी भी हितबद्ध पक्षकारों को कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया है जबकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 24 की पालना न करके बिना पक्षकारों को नोटिस नहीं दिये बिना अपीलान्टगण की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 626 का विभाजन करते हुये 626/1 कायम किया गया है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 को अपीलान्टगण के साथ शामिल करते हुये कुर्रेजात प्रस्तुत कर दिये गये जबकी विभाजन का विद्यायकी अनुसार यह है कि "प्रत्येक सहखातेदार का अलग रकबा, अलग खसरा कायम किया जाना आवश्यक था" जबकी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा एक आपत्ति रिपोर्ट दिनांक 25.09.2024 को प्रस्तुत की गयी जिसमें भी यह कहा गया था कि तहसीलदार द्वारा जो कुर्रेजात पेश किया गया है जो दिनांक 29.12.2001 की निष्पादित तहरीर के अनुसार नहीं किया गया एवं न ही पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा कुर्रेजात तैयार करते समय किसी भी पक्षकार को नोटिस नहीं दिया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश व डिक्री पारित किया गया है जो विधि के सिद्धान्तों व न्याय की मंशा के विपरित होने से निरस्तनीय है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी भी खातेदार अथवा पक्षकार की एकपक्षीय

कार्यवाही होने के बावजूद भी जब तहसीलदार, बंटवारा कुर्रेजात तैयार करने के लिये मौके पर जाने से पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस देना आवश्यक है तहसीलदार द्वारा किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकारों अर्थात अपीलान्टगण को नोटिस नहीं दिया गया एवं परीक्षण न्यायालय के समक्ष राजीनामा दिनांक 29.12.2001 के आधार पर डिक्री पारित की गयी है वही प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध है चूंकि उक्त तहरीर पर अपीलान्टगण के कोई हस्ताक्षर नहीं है एवं ना ही किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 71/2020 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.11.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि ग्राम झाडोल तहसील अंराई में स्थित भूमि खसरा संख्या 626, 260, 262, 431, 218, 220, 261, 678/219 कुल 08 किता कुल रकबा 85 बीघा 06 बीस्वा 10 बीस्वांसी भूमि स्थित है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य वादअधीन भूमि के संबंध में दिनांक 29.12.2001 को आपसी सहमति से 100/– के स्टाम्प पर तहरीर कर गवाहान के समक्ष किशनगढ न्यायालय परिसर में तथा बंटवारा तस्दीक करवा दिया गया था किंतु बंटवारे का अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं हो पाया जिसके कारण उक्त तहरीर के अनुसार वादअधीन भूमि का बंटवारा नहीं हो सका। उक्त तहरीर होने के बाद प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा खाता संख्या 94 में से अपने 1/2 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 को कर दिया जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी आज भी उक्त तहरीर बंटवारे के अनुसार मौके पर काबिज है। वकील अधिवक्ता ने वाद पत्र में निवेदन किया कि उक्त तहरीर बंटवारे के अनुसार वादअधीन भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे तथा उसी के अनुसार वादअधीन भूमि का विभाजन कर दिया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5 से 7 द्वारा अपील में लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट अपीलांट से वादग्रस्त आराजी का कुछ हिस्सा खरीद कर मौके पर काबिज हो गये। क्रय की गयी भूमि का रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में नामांतरकरण दर्ज हो गया है। नामांतरकरण दर्ज होने के बाद रेस्पोडेन्ट/वादी ने उपखण्ड अधिकारी, अंराई के समक्ष बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया। उक्त बंटवारे के वाद में प्रतिवादीगण को बिना प्रोपर तामील करवाये ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गयी। प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा प्रस्ताव बनाते समय रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार का मौके पर उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी नहीं किया गया। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा नहीं बनाकर पटवारी हल्का द्वारा बनाया गया जबकि कानून में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर मौका

निरीक्षण कर सभी सह खातेदारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करेंगे जो कि एक आज्ञापक प्रावधान है। उक्त आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए तहसीलदार ने अपनी शक्ति को डेलिगेट कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया गया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव में रेस्पोडेन्ट को अपीलांट के साथ ही सह खातेदार दर्ज करने बाबत बंटवारा प्रस्ताव बनाया। ऐसी स्थिति में उक्त अपील को स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट का खाता अलग कायम करने बाबत् रेस्पोडेन्ट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, अंराई के समक्ष प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित है। बंटवारे बाबत् उपखण्ड अधिकारी, अराई के समक्ष राजस्व वाद पेश होने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी में सह खातेदार थे। बंटवारे के दावे में सभी वादी प्रतिवादी होते हैं एवं सभी प्रतिवादी वादी होते हैं। रेस्पोडेन्ट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में सभी सह खातेदारों को हिस्से के बंटवारा बाबत् अनुतोष चाहा था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के हिस्से बाबत् बंटवारे का आदेश पारित नहीं कर रेस्पोडेन्ट को अपीलांट के साथ ही सह खातेदार दर्ज रख दिया। कानूनी रूप से बंटवारे के वाद में सभी खातेदारों के मध्य बंटवारा किया जाना आवश्यक है जो उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा नहीं कर कानूनी त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी, अंराई ने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 जो कि आज्ञापक आदेश है उनकी अवहेलना करते हुए आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, अंराई का आदेश अविधिक आदेश की श्रेणी में आता है जैसाकि न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2017 पेज 473 लार्जर बैंच राजस्व मण्डल एवं आर. बी.जे. 2018 पेज 676 में प्रतिपादित किया गया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर रेस्पोडेंट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर रेस्पोडेंट के हिस्से का बंटवारा प्रस्ताव में अलग हिस्सा दर्ज कर पुनः निर्णय व डिक्री पारित किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5 से 7 द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2017 पेज 473, आरबीजे 2018 पेज 676 प्रस्तुत किए हैं।

7. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य राजीनामे अनुसार दिनांक 22.11.2024 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

वादअधीन भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेंटस की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है जो कि भूमि ग्राम झाडोल तहसील अंराई में स्थित भूमि खसरा संख्या 626, 260, 262, 431, 218, 220, 261, 678/219 कुल किता 8 कुल रकबा 85 बीघा 06 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 4 के मध्य दिनांक 29.12.2001 को आपसी सहमति से

100–/रूपए के स्टाम्प पर गवाहान के समक्ष बंटवारा तस्दीक किया गया।

दिनांक 26.07.2024 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आपसी राजीनामा व सहमति से वादअधीन भूमि का बंटवारा किए जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण की सहमति व्यक्त की गई तथा आदेशिका पर भी हस्ताक्षर कर अपनी सहमति प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी अनुरूप प्रकरण में निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.07.2024 पारित किया गया।

तहसीलदार अंराई द्वारा उभयपक्षों की आपसी सहमति अनुरूप ही प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 18.10.2024 को तैयार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। परंतु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त बंटवारा आपसी सहमति अनुसार नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति का अवलोकन किए जाने के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति को खारिज किए जाने के उपरांत मूल वाद पर उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए राजीनामा अनुसार व तहसीलदार अंराई द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव के अनुरूप ही प्रकरण में दिनांक 22.11.2024 को निर्णय व अंतिम डिक्री जारी की गई।

अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के मध्य राजीनामा किया गया है परंतु रेस्पोडेंट संख्या 5 लगायत 7 द्वारा ना तो दिनांक 29.12.2001 के राजीनामे में हस्ताक्षर है एव ंना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्ताक्षर व सहमति प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 626 का विभाजन करते हुए 626/1 कायम किया गया है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 5 से 7 को अपीलांट्स के साथ शामिल करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रकरण में निर्णय व डिक्री जारी किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खाता संख्या 94 में से अपने 1/2 हिस्से का बैचान रेस्पोडेंट संख्या 5 लगायत 7 को किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए बैचान व उनके हक हिस्से अनुसार ही प्रकरण में उनके द्वारा किया गया राजीनामे व सहमति को ध्यान में रखकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। उक्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 29.12.2001 को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है जिसमें किसी भी पक्ष का हिस्सा कम या ज्यादा नहीं किया गया है।

अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 13 नियम 3 सीपीसी एवं धारा 39 राज0 स्टाम्प अधिनियम 1998 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.07.2017 को खारिज किया गया। अपीलांट्स द्वारा उक्त आदेश की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त निगरानी को दिनांक 19.07.2018 को खारिज किया गया।

अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में यह बताने में असफल रहे हैं कि किस आधार पर बंटवारा प्रस्ताव में उनका हक व हिस्सा राजीनामा अनुसार नहीं किया जाकर त्रुटिपूर्ण किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को

साबित कर पाने में विफल रहे हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में विधिक बल नहीं होने से उक्त अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं होने से हाजा न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 71/2020 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.11.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर